MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

New Delhi, the 1st January, 2019

G.S.R. 17.—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government, consequent upon retirement of Sh. V. K. Sharma, Ex-Chairman, LIC, entrusts the additional charge of Chairman, Life Insurance Corporation of India to Sh. Hemant Bhargava, Managing Director for a period of three months or till regular appointment is made or until further orders, whichever is earlier.

[F.No. A-15011/02/2018-Ins.I]

MRITUNJAY SINGH, Under Secy.

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2019

सा.का.नि.18.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जहां तक अनुसंधान अधिकारी (अनुसंधान, सांख्यिकी और विश्लेषण) और कनिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (अनुसंधान, सांख्यिकी और विश्लेषण) के पदों से संबंध है, संघ लोक सेवा आयोग अनुसंधान, सांख्यिकी और विश्लेषण खंड समूह "क" और समूह "ख" पद भर्ती नियम, 2013 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग, अनुसंधान, सांख्यिकी और विश्लेषण खंड समूह "क" और "ख" पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. संघ लोक सेवा आयोग अनुसंधान, सांख्यिकी और विश्लेषण खंड समूह "क" और "ख" पद भर्ती नियम, 2013 में -

(i) नियम 2 में (क) शीर्षक में, शब्दों - "वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान" के स्थान पर शब्द "वेतन मैट्रिक्स में स्तर" रखे जाएंगे।

(ख) शब्दों "वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान" के स्थान पर शब्द "वेतन मैट्रिक्स में स्तर" रखे जाएंगे।

(ii) अनुसूची में, उक्त संख्या 2 और 3 तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उक्त संख्या और प्रविष्टियां क्रमश: रखी जाएंगी अर्थात् :-

अनुसूची

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन या अचयन पद**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
2. अनुसंधान अधिकारी (अनुसंधान, सांख्यिकी और विश्लेषण)	4* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर 10	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	**भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली, रिक्तियों की प्रतिशतता**
(7)	**(8)**	**(9)**	**(10)**
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(11)	**(12)**	**(13)**
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 में कनिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (अनुसंधान, सांख्यिकी और विश्लेषण) जिसने श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो और जिसने मान्यता प्राप्त संस्थान या सरकारी विभाग से शब्द प्रक्रमण, कम्प्यूटर स्प्रेडशीट्स के आधारभूत ज्ञान, इंटरनेट का उपयोग करके संप्रेषण करने, वेब ब्राउजर, लघु प्रस्तुतियां तैयार करने आदि सहित ऑफिस सूइट अथवा एमएस ऑफिस में 2-4 सप्ताहों का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो। **टिप्पणी** : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली हैं, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति हेतु अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) :** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या मान्यताप्राप्त सरकार के अनुसंधान संस्था या विश्वविद्यालयों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्द्धसरकारी या स्वायत्त या कानूनी संगठनों अर्थात् बैंककारी और रेल भर्ती बोर्डों, कर्मचारी चयन आयोग, सेवा चयन बोर्ड, राज्य लोक सेवा आयोग आदि के अधीन अधिकारी : (क)(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदों को धारण करते हों ; या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 या समतुल्य के पदों में नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में दो वर्ष की सेवा की है; या	**समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिल कर बनेगी :** 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग –अध्यक्ष 2. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग –सदस्य 3. अपर सचिव (परीक्षा सुधार शाखा के प्रभारी), संघ लोक सेवा आयोग –सदस्य **समूह "क" विभागीय पुष्टि समिति निम्नलिखित से मिल कर बनेगी :** 1. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग –अध्यक्ष 2. अपर सचिव (प्रशासन शाखा के प्रभारी), संघ लोक सेवा आयोग - सदस्य 3. अपर सचिव (परीक्षा सुधार शाखा के प्रभारी), संघ लोक सेवा आयोग – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(iii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 या समतुल्य के पदों में नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में तीन वर्ष की सेवा की हो; और (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता और अन्य अर्हताएं रखते हों :- **आवश्यक :** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सांख्यिकी या संक्रिया अनुसंधान, गणित या अनुप्रयुक्त सांख्यिकी या अनुप्रयुक्त गणित या गणितीय सांख्यिकी में मास्टर डिग्री; या स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर पर एक विषय के रूप में सांख्यिकी के साथ किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अर्थशास्त्र या समाजशास्त्र या मनोविज्ञान या वाणिज्य में मास्टर डिग्री या समतुल्य; और (ii) सांख्यिकीय आंकड़ों के विश्लेषण तथा उनके निर्वचन में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों, पब्लिक सेक्टर उपक्रम या कानूनी तथा स्वायत्त संगठन या भर्ती बोर्ड अर्थात् बैंककारी अथवा रेल भर्ती बोर्ड या भारतीय तकनीकी संस्थान या भारतीय प्रबंधन संस्थान या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य माध्यमिक या तकनीकी शिक्षा बोर्ड या कर्मचारी चयन आयोग या संघ लोक सेवा आयोग या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद आदि के अधीन एक वर्ष का अनुभव रखते हों। (iii) जिसने मान्यता प्राप्त संस्थान या सरकारी विभाग से शब्द प्रक्रमण, कम्प्यूटर स्प्रेडशीट्स के आधारभूत ज्ञान, इंटरनेट का उपयोग करके संप्रेषण करने, वेब ब्राउजर, लघु प्रस्तुतियां तैयार करने आदि सहित ऑफिस सूइट अथवा एमएस ऑफिस में 2-4 सप्ताहों का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो। **वांछनीय** : **(क)** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कम्प्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या इलेक्ट्रानिक विभाग द्वारा प्रत्यायित कम्प्यूटर पाठ्यक्रम अधीन "ए" स्तर डिप्लोमा। **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले व्यक्ति किसी अन्य संवर्ग बाह्य		

पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. कनिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (अनुसंधान, सांख्यिकी और विश्लेषण)	8* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर - 7	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (और न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख मंडल, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपमंडल, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित की गई है)।

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सांख्यिकी या संक्रिया अनुसंधान या गणित या अनुप्रयुक्त सांख्यिकी या अनुप्रयुक्त गणित या गणितीय सांख्यिकी में मास्टर डिग्री या समतुल्य; या (ii) स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर पर एक विषय के रूप में सांख्यिकी के साथ किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अर्थशास्त्र या समाजशास्त्र या मनोविज्ञान या वाणिज्य में मास्टर डिग्री, और **वांछनीय** : (क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कम्प्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या इलेक्ट्रानिक विभाग द्वारा प्रत्यायित कम्प्यूटर पाठ्यक्रम के अधीन "ए" स्तर डिप्लोमा । (ख) सांख्यिकीय आंकड़ों के विश्लेषण और अंक निर्वचन में केन्द्रीय सरकार या राज्य	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष ।	**सीधी भर्ती** **टिप्पण -** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या विश्वविद्यालयों या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या अर्द्धसरकारी या स्वायत्त या कानूनी संगठन या भर्ती बोर्ड अर्थात् बैंककारों और रेल भर्ती बोर्ड, कर्मचारी चयन आयोग, सेवा चयन बोर्ड, राज्य लोक सेवा आयोग आदि के अधिकारियों में से पदधारी लोक अधिकारी के प्रतिनियुक्ति पर जाने या लम्बी बीमारी या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर उन अधिकारियों में से भरा जा सकता है जो सदृश पद धारण कर रहे हों या जिन्होने स्तर-6 में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो और स्तंभ 7 में उपर्युक्त सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हता और अनुभव रखते हों

सरकार या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों, पब्लिक सेक्टर के उपक्रम या कानूनी या स्वायत्त संगठन या भर्ती बोर्ड अर्थात् बैंककारी या रेल भर्ती बोर्ड या भारतीय तकनीकी संस्थान या भारतीय प्रबंधन संस्थान या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या राज्य लोक सेवा आयोग या राज्य माध्यमिक या तकनीकी शिक्षा बोर्ड या कर्मचारी चयन आयोग या संघ लोक सेवा आयोग या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अधीन एक वर्ष पश्चअर्हता अनुभव रखते हो। **टिप्पण 1:** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।			।

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	**विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे -** 1. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष 2. अपर सचिव (प्रशासन शाखा के प्रभारी), संघ लोक सेवा आयोग -सदस्य 3. संयुक्त निदेशक (अनुसंधान, सांख्यिकी और विश्लेषण), संघ लोक सेवा आयोग -सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. 39021/04/2015-स्था.(बी)]

प्रमोद कुमार जायसवाल, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम सा.का.नि. 51, तारीख 19 फरवरी, 2013 द्वारा भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 11th January, 2019

G.S.R. 18.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Union Public Service Commission Research, Statistics and Analysis Wing Group 'A' and 'B' post Recruitment Rules, 2013, in so far as they relate to the posts of Research Officer (Research, Statistics and Analysis) and Junior Research Officer (Research, Statistics and Analysis) namely:-

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Union Public Service Commission Research, Statistics and Analysis wing Group 'A' and 'B' post Recruitment (Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Union Public Service Commission, Research, Statistics and Analysis Wing Group 'A' and 'B' post Recruitment Rules, 2013,-

(i) in Rule 2,- (a) in the heading, for the words "Pay Band and Grade Pay or Scale of Pay", the words "level in the pay matrix" shall be substituted.

(b) for the words "pay band and grade pay or pay scale", the words "level in the pay matrix" shall be substituted;

(ii) in the schedule, for said number 2 and 3 and entries relating thereto, the following said number and entries shall be respectively substituted, namely:-

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in Pay Matrix	Whether Selection or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Research Officer (Research, Statistics and Analysis)	4* (2019) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Level 10	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two Years	By promotion failing which by Deputation (including Short-term Contract)

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion: Junior Research Officer (Research, Statistics and Analysis) in Level 7 of Pay Matrix with three years of regular service in the grade and having successfully completed 2-4 weeks training from a recognised institute or Government Department on Office Suite or MS Office including knowledge of word processing, spreadsheets basics of computer, Communicating using Internet, Web Browser, Making small presentation etc. **Note** : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (including short term contract):** Officers under the Central Government or State Government or Union Territories or Government Recognised Research Institutions or Universities or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Autonomous or Statutory Organisations or Recruitment Boards viz., Banking and Railway Recruitment Boards, Staff Selection Commission, Services Selection Board, State Public Service Commission etc.- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or	**Group 'A' Departmental Promotion Committee consisting of:** **1**. Chairman or Member, Union Public Service Commission -Chairman **2** . Secretary, Union Public Service Commission -Member **3**. Additional Secretary (In charge of Examination Reforms Branch), Union Public Service Commission -Member **Group 'A' Departmental Confirmation Committee consisting of:** **1**. Secretary, Union Public Service Commission -Chairman **2**. Additional Secretary (In charge of Administration Branch), Union Public Service Commission - Member **3**. Additional Secretary (In charge of Examination Reforms Branch), Union Public Service Commission - Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

(ii) with two years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in Level 8 of Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with three years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in Level 7 of Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) Possessing following educational qualification and other qualifications : **Essential:** (i) Master's Degree in Statistics or Operation Research or Mathematics or Applied Statistics or Applied Mathematics or Mathematical Statistics from a recognised University or Institute; or Master's Degree in Economics or Sociology or Psychology or Commerce with Statistics as one of the subjects at Graduate level or Post-Graduate level from a recognised University or Institute; and (ii) possessing one year experience of analysis of statistical data and their interpretation in Central Government or State Government or University or recognised training institute or Public Sector Undertaking or Autonomous Organisation or recruitment board e.g., Banking and Railway Recruitment Board or Indian Institute of Technology or Indian Institute of Management or Central Board of Secondary Education or State Public Service Commission or State Board of Secondary or Technical Education or Staff Selection Commission or Union Public Service Commission or University Grants Commission or Council for Scientific and Industrial Research etc; (iii) having successfully completed 2-4 weeks training from recognised institute or		

Government Department on Office Suite or MS Office including knowledge of word processing, spreadsheets Basics of computer, Communicating using internet, Web Browser, Making small presentation etc. **Desirable:** (a) Post Graduate Diploma in Computer Application awarded by any recognised University or Á level Diploma under the Department of Electronics accredited computer course. Note 1: The departmental officer in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: Period of deputation (Including short-term contract) including period of deputation (Including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (Including short term contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.Junior Research Officer (Research, Statistics and Analysis)	8* (2019) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial	Level 7 of Pay Matrix	Not Applicable	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions and orders issued by Central Government from time to time.) **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for the receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Panghi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island or Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: (i) Master's Degree in Statistics or Operation Research or Mathematics or Applied Statistics or Applied Mathematics or Mathematical Statistics from a recognised University or Institute; or (ii) Master's Degree in Economics or Sociology or Psychology or Commerce with Statistics as one of the subjects at Graduate level or Post-Graduate level from a recognised University or Institute; and **Desirable:** (a) Post Graduate Diploma in Computer Application awarded by any University or 'A' level Diploma under the Department of Electronics accredited computer course. (b) Possessing one year post qualification experience of analysis of statistical data and their interpretation in Central Government or State Government or University or Recognised Training Institute or Public Sector Undertaking or Statutory or Autonomous Organization or Recruitment Board e.g., Banking and Railway Recruitment Board or Indian Institute of Technology or Indian Institute of Management or Central Board of Secondary Education or State Public Service Commission or State Board of Secondary or Technical Education or Staff Selection Commission or Union Public Service Commission or University Grants Commission or Council for Scientific and Industrial Research. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2**: The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Caste or the Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Not applicable	Two Years for Direct Recruits	Direct Recruitment **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from Officers of Central Government or State Government or Union Territories or Recognized Research Institutions or Universities or Public Sector Undertakings/ Semi-Government/ Autonomous or Statutory Organizations or Recruitment Boards viz., Banking and Railway Recruitment Boards, Staff Selection Commission, Services Selection Board, State Public Service Commission etc., holding analogous post or with five years of regular service in Level 6 of Pay Matrix or equivalent and possessing essential qualification and experience as prescribed for Direct Recruits in Column 7 above.

(11)	(12)	(13)
Not Applicable	**Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation):** 1. Secretary, Union Public Service Commission - Chairman 2. Additional Secretary (In-charge of Administration Branch), Union Public Service Commission - Member 3. Joint Director (Research, Statistics and Analysis), Union Public Service Commission - Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

[F. No. 39021/04/2015-Estt.(B)]

PRAMOD KUMAR JAISWAL, Under Secy.

Foot Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number GSR 51, dated the 19th February, 2013.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2018

सा.का.नि.19.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में कार्यशाला कर्मकार के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, कार्यशाला कर्मकार (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अन्य अर्हताएं आदि .—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हता और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी |

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत्, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी |

6. व्यावृत्ति .— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।